भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *371
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान'

***371. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत सरकार ने देश में 'बाल विाह मुक्त भारत' अभियान शुरू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से वर्ष 2029 तक बाल विवाह दर को 5 प्रतिशत से कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनाने का अनुरोध किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;
(घ) मध्य प्रदेश सहित राज्यवार कितने जिलों में बाल विवाह दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है; और
(ड.) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेषत: महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्यवार कितने बाल विवाह रोके गए?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के संबंध में श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे और श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 371 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : सरकार द्वारा 27 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान देश को बाल विवाह मुक्त बनाने पर केंद्रित है। 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए बालिकाओं और महिलाओं के बीच शिक्षा, कौशल, उद्यम और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है।

'बाल विवाह मुक्त भारत/चाइल्ड मैरिज फ्री भारत' पोर्टल भी शुरू किया गया है जो जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह को रोकने और ऐसी घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करके अभियान के दृष्टिकोण में सहायता करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन मंच है। यह एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा जो केंद्रीय स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ),आयोजित जागरूकता कार्यक्रम और बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बना सकता है। इस अभियान के शुभारंभ के दिन सभी सीएमपीओ के लिए भौतिक और वर्चुअल दोनों रूप से भाग लेने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया था ताकि इस पहल में उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।

(घ) और (ड.): पीसीएमए अधिनियम, 2006 के अधिनियमित होने के बाद से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (एनएफएचएस-3) के अनुसार बाल विवाह की व्यापकता 2006 में लगभग 47% से एनएफएचएस-5 के अनुसार 2019-21 के दौरान घटकर आधी लगभग 23.3% रह गई है। यद्यपि, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बाल विवाह का प्रचलन अधिक है। एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 259 जिले ऐसे हैं जहां महिलाओं में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में पीसीएमए के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 501, 525, 785, 1050 और 1002 है। बाल विवाह की घटनाओं की सूचित मामलों की संख्या में अब वृद्धि देखी जा रही है जो नागरिकों में बढ़ती जागरूकता के कारण हो सकती है। विभिन्न राज्यों ने विभिन्न स्तरों पर सीएमपीओ नामित किए हैं। कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर तक के कर्मियों को नामित किया गया है जबकि कई राज्यों में यह केवल जिला या उप-जिला स्तर तक ही है।

******